कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दुरभाष : 07759–221288, फैक्स : 07759–221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

पत्र.क. / राजस्व / तीन / 2015–16 / 16014 कोरबा, दिनांक 29/9/15

निविदा / प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत स्थित कोरबा सीतामणी कांजीघर वित्तीय वर्ष 2015–2016 हेतु 31मार्च 2016 तक) के लिए आवारा मवेशियों को कांजीघर में बंद कराने वाले इच्छुक व्यक्ति / फर्म को निगम द्वारा प्रति मवेशी न्यूनतम दर पर प्रस्ताव के लिए दिनांक 15.10.15 को बंद लिफाफे में सायं 4.00 बज़े तक आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति / फर्म रूपये 1,000 / – की अमानत राशि ड्राफ्ट या बैंकर चेक / नगद जो आयुक्त, नगर पालिक निगम कोरबा के नाम पर देय या नगद निगम केशे में जमा कर निविदा में भाग ले सकेगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

D;/Teejram. PM5

कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

राजस्व शाखा – साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा (छ0ग0)

दुरभाष : 07759-221288, फैक्स : 07759-221929, पो.बाक्स नं. 12 पिन कोड – 495677

Website : www.korbamunicipal.in, **Email** : corporationkorba@gmail.com

निविदा की शर्ते

1. व्यक्ति/फर्म को कोरबा सीतामणी कांजीघर में मवेशी पड़कर कर बंद कराने पर प्रति मवेशी दर हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। न्यूनतम दर भरने वाले व्यक्ति/फर्म की निविदा ऑफर दर के आधार पर ठेका दी जावेगी।
2. कांजीहाउस में कोई भी नागरिक पशुओं को कभी भी बंद कर सकेगा ।
3. कांजीघर में मवेशी पकड़कर लाने की जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
4. ठेकेदार द्वारा कांजीघर में पवेशी पकड़कर लाने पर किसी भी प्रकार के विवाद की जवाबदारी स्वयं की होगी।
5. कांजीहाउस में 15 दिवस के अवधि के अंदर मवेशी स्वामियों द्वारा मवेशी नहीं छुड़ाने की दशा में उक्त मवेशी को सार्वजनिक नीलामी किया जावेगा। नीलामी नगर पालिक निगम के द्वारा अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी की उपस्थिति में की जावेगी ।
6. किसी भी जानवर के दूध पीता बच्चे जो कांजीघर में लाये जाने का शुल्क निगम द्वारा देय नहीं होगा।
7. शासकीय एवं नगर पालिक निगम तथा सार्वजनिक बाग एवं मुख्यमार्ग तथा नगर पालिक निगम क्षेत्र से अवरोध हेतु लाये जाने वाले पशुओं पर निर्धारित दर लिया जावेगा।
8. ठेकेदार आवारा मवेशी में सांड़ अन्य वर्ग के जानवर कांजीघर में बंद नहीं किया जावेगा।
9. ठेकेदार को नगर पालिक निगम क्षेत्र में किसी भी सार्वजनिक सड़क, मोहल्ला एवं कालोनी क्षेत्र में अवरोध पैदा करने वाले मवेशियों को हटाने तथा कांजीघर में बंद करने का अधिकार होगा ।
10. ठेकेदार निम्नलिखित शर्तो में अवरोध पैदा करने वाले आवारा पशुओं हटाने तथा यथा संभव कांजीघर में बंद करने हेतु उत्तरदायी होगे।
    1. छ.ग..रा.वि.मं. चौक से सीतामणी चौक तक।
    2. छ.ग..रा.वि.मं. चौक से कोसाबाड़ी रजगामार रोड़ चौक तक।
    3. छ.ग..रा.वि.मं. चौक से आई.टी.आई. होते हुए तहसील कार्यालय तक।
    4. बॅराज से सी.एस.ई.बी. कार्यालय दर्री तक।
    5. अन्य सभी मुख्य मार्ग एवं नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र एवं कालोनी क्षेत्र ।

    उपरोक्त सड़को पर रास्ता अवरूद करते हुए यदि आवारा मवेशी पाये जाते है, तो प्रति बार नगर
11. ठेकेदार नगर निगम कार्यालय द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के पालन के लिए बाध्य होगा अन्यथा निगम को अधिकार होगा कि उसका ठेका निरस्त कर देवें।
12. निविदा के उपरांत किसी प्रकार की छूट पाने या इस संबंध में दावा करने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।
13. ठेकेदार एवं उनके कर्मचारियों को निगम द्वारा इस कार्य हेतु पहचान पत्र भी जारी किया/मांगे जाने पर दिया जावेगा।
14. गाड़ी डीजल एवं ड्रायवर निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
15. गाड़ी में कम से कम 6 पशु पकड़ना अनिवार्य है प्रतिदिन।
16. उपरोक्त पशु पकड़कर सीतामणी कांजीघर में छोडना है।
17. ठेकेदार द्वारा उनके कार्यकर्ता द्वारा कांजीघर संचालन में कोई आपत्ति व हस्तक्षेप नहीं किया जावेगा।
18. निविदा दर का अनुमोदन आयुक्त/नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के तहत नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा प्रदत्त किये जाने पर ही इसे अंतिम रूप से मान्य समझा जावेगा।
19. निविदा के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर आयुक्त नगर पालिक निगम कोरबा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत/नियुक्त प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं पक्षकारों को मान्य होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
कोरबा (छ.ग.)

D:/Teejram. PM5